

पत्रांक :-3/यो.1-31/2016(उ0शि0) 355/बजट,

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

अतिरिक्त
राज्यांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 01/02/2024

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-06 अंतर्गत New Professional College, Jamshedpur पूर्वी सिंहभूम के Repairing (Building Part, Furniture and Miscellaneous work) कार्य हेतु रू0 2,43,04,900/- (दो करोड़ तेतालीस लाख चार हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध अतिरिक्त राज्यांश मद से रू0 2,43,04,900/- (दो करोड़ तेतालीस लाख चार हजार नौ सौ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृतिदेश संख्या 351/बजट दिनांक 30.01.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-06 अंतर्गत New Professional College, Jamshedpur पूर्वी सिंहभूम के Repairing (Building Part, Furniture and Miscellaneous work) कार्य हेतु रू0 2,43,04,900/- (दो करोड़ तेतालीस लाख चार हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध अतिरिक्त राज्यांश मद से रू0 2,43,04,900/- (दो करोड़ तेतालीस लाख चार हजार नौ सौ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त राज्यांश मद की राशि	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	2,43,04,900=00	21X22020310279010678	1,88,36,298=00
			21X22020378979010678	36,45,735=00
			21X22020379679010678	18,22,867=00
	कुल योग -	2,43,04,900=00		2,43,04,900=00

2. अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X22020310279010678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X22020378979010678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X22020379679010678) मद के अंतर्गत होगा।

Sh-

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे।
4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 351/बजट दिनांक 30.01.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,



(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-31/2016(उ०शि०) 355/बज२/राँची, दिनांक- 01/02/2024

प्रतिलिपि - महालेखाकार, हिन्, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

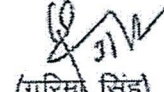


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-31/2016(उ०शि०) 355/बज२/राँची, दिनांक- 01/02/2024

प्रतिलिपि - विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ लेखा शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

